भारतीय संविधान एवं शिक्षा

शिवम् श्रीवास्तव*
इरफ़ान अहमद**

सारांश

15 अगस्त सन् 1947 को भारत ब्रिटिश दासता से स्वतंत्र हुआ| स्वतंत्रता के उपरान्त 26 जनवरी सन् 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया| भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा व विस्तृत संविधान माना जाता है जिसमे संसदीय प्रणाली को अपनाते हुए राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतो के साथ-साथ नागरिको के मूल अधिकारों व मूल कर्तव्यों को भी स्पष्ट किया गया है सन् 2006 में हुए संशोधन के उपरान्त इसमें 26 भागों में विभक्त 480 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां है| भारतीय जनमानस की आशाओं के इस सजीव प्रतिबिम्ब में शिक्षा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाना स्वाभाविक था| इसलिए भारतीय संविधान में अनेक शैक्षिक विषयों को सम्मिलित किया गया है, भारतीय संविधान के खण्ड 3 तथा 4 में शिक्षा सम्बंधित अनेक प्रावधान किये गए है| यहाँ यह इंगित करना उचित होगा कि इन प्रावधानों में प्रयुक्त शब्द 'राज्य' (State) के अन्तर्गत जब तक अन्यथा इंगित न हो भारत की सरकार व संसद तथा राज्यों की सरकार व विधानमंडल तथा सभी स्थानीय व अन्य संस्थाए सम्मिलित है| इसके अतिरिक्त भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के शैक्षिक उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया है प्रारम्भिक शिक्षा का मूल अधिकार, अल्पसंख्यको की शिक्षा , शिक्षा में समानता, अनुसूचित जाति व जनजाति के बालको की शिक्षा,धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता , शिक्षा के माध्यम,हिन्दी भाषा के विकास आदि के सम्बन्ध में संविधान में विशेष प्रावधान किये गए है वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के उपरान्त परिस्थितियों की मांग को देखते हुए संविधान में अनेक संशोधन किये गए है|

शब्द संकेत :- संविधान अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति,जनजाति,समवर्ती सूची केन्द्रसूची व राज्य सूची|

भारत के संविधान की प्रस्तावना 1976 के संशोधन के साथ, में भारत को एक प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य के रूप में स्वीकार करते हुए नागरिको को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय प्रदान करने, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म व उपासना की स्वतंत्रता देने हेतु एवं प्रतिष्ठा व अवसर की समानता के साथ-साथ व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता को बढाने का संकल्प किया गया| संविधान को अंगीकृत करते हुए कहा गया है कि– "हम भारत के लोग,भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिको को सामाजिक,आर्थिक और राजनैतिक न्याय,विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर सन् 1949 ईसवी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते है| 1 भारत के संविधान की उपरोक्त उल्लिखित प्रस्तावना से स्पष्ट है कि संविधान के इस संकल्प में देश के सभी नागरिको के शैक्षिक विकास की भावना को प्रकारान्तर से समाहित किया गया है| निश्चित ही सामाजिक व आर्थिक विचारों व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,प्रतिष्ठा व गरिमा की अनुभूति जैसी व्यवस्थाओ का सुनिश्चयन

* एसो.प्रोफ़ेसर एवं विभागाध्यक्ष- शिक्षाशास्त्र विभाग "किसान पी.जी. कॉलेज बहराइच
** असिस्टेंट प्रोफ़ेसर शिक्षाशास्त्र विभाग "महिला पी.जी. कॉलेज बहराइच"

किसी अच्छी शैक्षिक व्यवस्था के आभाव में नहीं हो सकता है| इसलिए भारत के संविधान के रचयिताओ ने संविधान की प्रस्तावना में ही देश के भावी नागरिकों के शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों का बीजारोपण कर दिया था | 2

भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 तथा 15 के माध्यम से नागरिकों के लिए समता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिको में समता बनाये रखना राज्य का कर्त्तव्य है | शिक्षा के क्षेत्र में भी नागरिको का यह अधिकार सुनिश्चित रहता है एवं वे समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों तथा महिलाओ के उत्थान के लिए किये गए विशेष प्रावधानों के अतिरिक्त शैक्षिक सन्दर्भ में समता व संरक्षण के अधिकार से युक्त होते है | 3 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 जिसमे नागरिको को वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता एवं रोजगार करने के अधिकार दिए गए है | यह भी शिक्षा के अधिकार की ओर संकेत करते है क्योंकि वाक् तथा अभिव्यक्ति एवं रोजगार के लिए ज्ञान व कौशल का होना जरूरी है | इसलिए यह अधिकार परोक्षतः शिक्षा का अधिकार भी बन जाता है | वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 क को जोड़ कर प्रारंभिक शिक्षा को नागरिको का एक मूल अधिकार बना दिया गया है |

अनुच्छेद 21क में कहा गया है कि राज्य 6-14 वर्ष की आयु के सभी बालको को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उस प्रकार की रीति से जैसा राज्य विधि द्वारा अवधारित करे,कि व्यवस्था करेगा साथ ही 86वें संविधान संशोधन के उपरान्त अनुच्छेद 45के स्थान पर दूसरा निदेशक तत्व रखा गया है , पुराना निदेशक तत्व बालको की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के बारे में था नये अनुच्छेद 45 द्वारा राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह शैशवपूर्ण देखभाल व शिक्षा का प्रबन्ध करेगा 4 भारतीय संविधान में अल्पसंख्यको की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है अनुच्छेद 30(1व2) के अनुसार धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाए स्थापित कर सकते है तथा प्रशासित कर सकते है राज्य सरकारे अनुदान देते समय इन संस्थाओं से केवल इसलिए भेद भाव नहीं करेंगी कि ये संस्थाए अल्पसंख्यको के द्वारा विशेष नियमों के अन्तर्गत चलाई जा रही हैं | इस प्रकार से संविधान अल्पसंख्यकों के शैक्षिक हितों की रक्षा करता है| 5 प्रजातंत्र में जाति धर्म या स्तर की परवाह किये विना ही सबको अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए सामान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए | प्रजातंत्र की इस मूलभूत मान्यता को ध्यान रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 29 में सभी के शैक्षिक अधिकारों को सुनिचित किया गया है |

अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि :-

भारत के राज्य क्षेत्र या इसके किसी हिस्से के निवासी नागरिको के समूह को अपनी विशेष भाषा,लिपि या संस्कृति को बनाये रखने का अधिकार होगा एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त किसी संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म जाति रंग भाषा के आधार पर प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता | 6

समाज के सभी कमजोर वर्गों के शैक्षिक उन्नति के प्रोत्साहन का उत्तरदायित्व राज्य का है संविधान के अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत कहा गया है कि राज्य के कमजोर वर्गों विशेष कर अनुसूचित जाति व जनजाति की शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति को विशेष रूप से प्रोत्साहित करेगा तथा उनको सामाजिक अन्याय व धोखे से बचाएगा | इस प्रकार से संविधान में समाज के सभी वर्गों की शिक्षा व उन्नति के अवसर सुनिश्चित है | 7 भारतीय संविधान में सर्वधर्म सम्मत शिक्षा की व्यवस्था की गयी है संविधान के अनुच्छेद 28 (1,2तथा3) में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओ में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है परन्तु यदि सरकार द्वारा प्रशासित या सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था की स्थापना किसी ऐसे न्यास के अधीन हुई है जिसमे कुछ धार्मिक क्रियाये आवश्यक हैं तो उस संस्था में उन धार्मिक क्रियाओ की शिक्षा दी जा सकती है | उक्त धारा में यह प्रावधान भी है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में चलाई जा रही धार्मिक पूजा में

भाग लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है इससे स्पष्ट है कि भारत में नागरिको के लिए धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न करने की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित की गयी है 8

प्राथमिक स्तर पर मातृ भाषा के महत्व को स्वीकार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 350 (a) में कहा गया है कि भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यक समूहों के बालको को उनकी मातृ भाषा में प्राथमिक शिक्षा सुविधायें उपलब्ध कराने का दायित्त्व राज्य तथा स्थानीय निकाय का हैं इस प्रकार से भाषायी अल्पसंख्यको के लिए उनकी भाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का कार्य है | 9 संविधान में राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास तथा प्रचार की व्यवस्था भी की गयी है | भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार राष्ट्रीय भाषा हिन्दी के प्रसार,संवर्धन तथा इसे ऐसे ढंग से विकसित करने का विशेष दायित्त्व केंद्र का है कि यह भारत की मिली-जुली संस्कृति के सभी वर्गों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके | इस प्रकार से हिन्दी भाषा के प्रसार,संवर्धन तथा इसको भारत के नागरिकों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने का संवैधानिक उत्तरदायित्त्व केंद्र सरकार का है 10 यद्यपि भारतीय संविधान में स्त्रियों ,बालकों व पिछड़े वर्ग की शिक्षा के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं दिए गए है , परन्तु अनुच्छेद 15(3,4 व 5) में महिलाओं तथा सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है |

ज्ञातव्य है की अनुच्छेद 15(1) में धर्म,जाति,लिंग आदि के आधार पर विभेद करने पर रोक लगाई गयी है परन्तु अनुच्छेद 15(3,4 व 5) में महिलाओं,बच्चों तथा सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने पर किसी प्रकार की रोक के न होने की व्यवस्था की गयी है| स्पष्ट है कि राज्य महिलाओं,बालकों तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए संविधान की दृष्टि से पूर्ण स्वतन्त्र है | वर्ष 2005 में 93 वें संविधान संशोधन ने तो इस व्यवस्था को वैयक्तिक प्रबन्धवाली शिक्षा संस्थाओं भले ही वे अनुदानित हो या स्ववित्त पोषित, के लिए भी विस्तारित कर दिया हैं | 11

सन् 1950 में लागू मूल भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का तो उल्लेख किया गया था परन्तु उनके मूल कर्तव्यों की चर्चा नहीं की गई थी सन् 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भी निर्धारित कर दिया गया है सन् 2002 के 86वें संविधान संशोधन के उपरान्त अनुच्छेद 51 क (ट) में प्रत्येक माता पिता या संरक्षक के लिए अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बालको की शिक्षा के लिए व्यवस्था करना आवश्यक कर्त्तव्य माना गया है | 12 संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्र व राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्यों तथा अधिकार क्षेत्र का भी स्पष्ट विभाजन किया गया है इनके लिए संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ बनायीं गयी हैं,प्रथम सूची,जिसे केन्द्र सूची(Union list) भी कहतें हैं,में दिये गये विषयों पर केन्द्र सरकार या संसद कानून बना सकती हैं | द्वितीय सूची जिसे राज्य सूची भी कहते हैं में दिए गये विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती हैं | तृतीय सूची जिसे समवर्ती सूची(Concurrent list) भी कहते हैं,में दिये गये विषयों पर केन्द्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकती हैं,,परन्तु यदि केन्द्र या राज्य द्वारा बनायें कानूनों में अन्तर होता है तो केन्द्र का कानून बैध होगा तथा राज्य का कानून असंगतता की सीमा तक अप्रभावी हो जाता हैं स्पष्ट है कि केन्द्र सूची में राष्ट्रीय महत्त्व के, राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व के तथा समवर्ती सूची में मिले-जुले विषय रखे गये हैं | 13

संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गयी इन तीन सूचियों में दिए गये अनेक विषय शिक्षा से सम्बंधित है प्रथम सूची अर्थात् केन्द्रीय सूची की प्रविष्टि 13,62,63,64,65 व 66 में तथा द्वितीय सूची अर्थात् राज्य सूची की प्रविष्ट 11 व 12 में महत्वपूर्ण शैक्षिक अधिकार क्रमशः केंद्र या राज्यों को दिए गये थे जबकि तृतीय सूची अर्थात् समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 तथा 25 शिक्षा से सम्बंधित थे | ऐसा लगता है कि शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं में स्थानीय व प्रान्तीय विभिन्नता को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान के रचायिताओं ने शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न

विषयों को केंद्र तथा राज्य के अधिकार क्षेत्रो में बहुत ही विवेक से विभक्त कर दिया था | परन्तु बाद में चलकर शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली की आवश्कता महसूस होने लगी | सम्भवतः सम्पूर्ण राष्ट्र में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित करने की दृष्टि से सन् 1977 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची की प्रविष्टि 11 से हटा कर समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 में सम्मलित कर दिया गया है ,यहाँ यह इंगित करना उचित ही होगा की 42 वें संविधान संशोधन को 18 दिसम्बर 1976 को राष्टपति की सहमति मिल गयी थी, परन्तु इसे 3 जनवरी 1977 को जारी अधिसूचना से लागू किया गया था |

जनता पार्टी की सरकार मार्च 1977 में सत्ता में आयी थी जिसमें 42वें संशोधन के अनेक प्रावधान 43 वे संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिए परन्तु शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने के प्रावधान को यथावत रखा | अतः अब शिक्षा के विषय में केंद्र तथा राज्य दोनो ही कानून बना सकते है |इस प्रकार से राज्यों के शिक्षा सम्बन्धी अधिकार समाप्त तो नहीं किये गये है परन्तु केंद्र इस सम्बन्ध में आवश्कता पड़ने पर कानून बनाकर उनके अधिकारों में कटौती कर सकता है | 14

भारतीय संविधान में शिक्षा के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि संविधान के निर्माताओं ने सूझ-बूझ का परिचय देते हुए शिक्षा को जन साधारण के कल्याण का साधन स्वीकार किया है तथा सभी को शिक्षा प्राप्ति के अधिकतम सम्भव अवसर प्रदान करने की भावना से शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों को स्पष्ट रूप से इंगित किया हैं,परन्तु इन प्रावधानों के बावजूद संविधान में किये गये ये संकल्प अभी तक पूर्ण नहीं किये जा सके हैं न तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो सकी हैं और न ही हिन्दी का राष्ट्र भाषा के रूप में विकास हो सका हैं |

सन्दर्भ सूची

1. शर्मा ब्रजकिशोर, भारत का संविधान-एक परिचय, पांचवा संस्करण,पृष्ट 44
2. गुप्ता एस.पी.एवं गुप्ता अलका,भारतीय शिक्षा का इतिहास,विकास एवं समस्याएँ,संस्करण 2013,पृष्ट 102
3. डायसी ए.वी.,लॉ ऑफ़ दि कांस्टीट्यूशन 10वां सस्करण पृष्ट 202,203
4. शर्मा बृजकिशोर,भारत का संविधान एक परिचय, पांचवां संस्करण,पृष्ट 105
5. वही पृष्ट 117
6. बसु दुर्गादास,शार्टर कांस्टीट्यूशन ऑफ़ इण्डिया
7. वही |
8. शर्मा बृजकिशोर,भारत का संविधान एक परिचय,पांचवां सस्करण पृष्ट 109-110
9. गुप्ता एस.पी. एवं गुप्ता अलका,भारतीय शिक्षा का इतिहास,विकास एवं समस्यायें,सस्करण 2013, पृष्ट 106 |
10. शर्मा बृजकिशोर,भारत का संविधान-एक परिचय,पांचवां संस्करण पृष्ट 347 |
11. वही पृष्ट 81
12. संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा अन्तः स्थापित |
13. शर्मा बृजकिशोर,भारत का संविधान-एक परिचय पांचवां संस्करण, पृष्ट 287 |
14. गुप्ता एस.पी.एवं गुप्ता अलका,भारतीय शिक्षा का इतिहास,विकास एवं समस्यायें,सस्करण 2013, पृष्ट 108